न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 69/2025

भरत राजवानी निवासी सिंगोदिया स्कूल के पास मेहन्दीबाग टोंक राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 01.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 4.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 657 दिनाक 07.07.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मेरे द्वारा दिनांक 15.04.2025 को कलेक्ट्रेट टोंक में रिसीव कराई कम्पलेन्ट की प्रति संलग्न करते हुए निवेदन है कि उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी सूचना के अधिकार तहत देवे जो निम्नानुसार है–

A- मेरे द्वारा आधार सुपर मार्केट 2/78 हाउसिंग बोर्ड कालोनी टोंक स्थित माल से दिनांक 5.04.2025 को खरीदे गये बिस्कुट के रेपर की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है जिस पर PKD की दिनांक 7.03.2025 अंकित है लेकिन इसमें यूज बाई की दिनांक न लिखे होने से बिस्कुट का पैक ही संदेह के घेरे में है व डरावना है।

B- दूसरा अति ही महत्वपूर्ण व धोखाधड़ी का बिन्दू यह है कि उक्त रेपर पर नेट वेट 696 ग्राम लिखा है। जबकि माल से दिये गये बिल में वजन 800 ग्राम अंकित है जिसकी प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न है। जाहिर उक्त माल/दुकान में धोखाधडी कर ग्राहकों से अधिक राशी वसूली जा रही है।

C- हैरानी व अत्यन्त ही दुःख व तकलीफ देह यह है कि उक्त बाबत माल पर शिकायत करने व अधिक वसूल की गई राशी का रिफन्ड मांगने पर माल पर बदतमिजी की सभी की सभी हदें पार कर दी गई, तूं तडाक कर तेरे से जो बनता है करले व वहां से चुपचाप चले जाने में ही भलाई है कहकर धमकी दी गई जिससे मैं अत्यन्त ही गहन अवसाद व डरा हुआ हूं जिसका असर घर में पत्नी व बच्चों पर भी हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार जल्द ही उचित कार्यवाही उचित विभाग से कराने बबात सूचना मुझे भी देवें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1599 दिनांक 12.08.2025 व 1691 दिनांक 28.08.2025 व 1797 दिनांक 11.09.2025 को प्रेषित

715

जिला कलेक्टर
टोंक

कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1091 दिनांक 17.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा बिन्दू संख्या A.B.C की सूचना चाही गयी है। बिन्दू संख्या A की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक से सम्बन्धित होने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्र कमांकः आरटीआई / 984 दिनांक 18.08.2025 द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को अन्तरित किया गया है। बिन्दू संख्या B, C में कोई सूचना अपेक्षित नहीं होने से इस कम में प्रार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 1129 दिनाक 08.09.2025 द्वारा सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)